

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]
No. 396]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2003/वैशाख 9, 1925

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2003/VAISAKHA 9, 1925

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2003

का.आ. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 5(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री टी.के. विश्वनाथन, सदस्य सचिव, विधि आयोग, जो कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण में अंश कालिक सदस्य के रूप में हैं, तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र स्वीकार करती है।

[फ. सं. 11(6)/2003-बीमा-4]

आर. रंगनाथ, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2003

S.O. 482(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5(3) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby accepts the resignation of Shri T.K. Viswanathan, Member Secretary, Law Commission as Part-time Member of the Insurance Regulatory and Development Authority with immediate effect.

[F. No. 11/6/2003-Ins. IV]

R. RENGANATH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2003

का.आ. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजित एम. शरण, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एवं बीमा) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा अंश कालिक सदस्य के रूप में अगले आदेश तक नियुक्त करती है।

[फ. सं. 11(6)/2003-बीमा-4]

आर. रंगनाथ, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2003

S.O. 483(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Ajit M. Sharan, Joint Secretary (Banking & Insurance) in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Part-time Member of the Insurance Regulatory and Development Authority with immediate effect until further orders.

[F. No. 11/6/2003-Ins. IV]

R, RENGANATH, Director